



सत्यमेव जयते



सी०नं०: 58(88)/कर मुक्ति/आ०आ०-गाजियाबाद/2007-08/

दिनांक- 12.09.2007.

2346

भारत सरकार
(वित्त मंत्रालय)

कार्यालय आयकर आयुक्त,

सी०जी०ओ० काम्पलेक्स-1, हापुड रोड,
गाजियाबाद ।

सेवा में,

आकाश मैमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट,
जे०.234, आकाशदीप,
सैक्टर-25, नोयडा ।

विषय : आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी० के अधीन कर-मुक्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण -

ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त संस्था को आयकर आयुक्त, गाजियाबाद ने अपने दिनांक 24.02.2006 के आदेश संख्या सी०नं० 58(40)/कर मुक्ति/आ०आ०-गा०बाद/2005-06/5442 द्वारा दिनांक 14-11-2005 से दिनांक 31-03-2007 तक की अवधि के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-जी० के अर्न्तगत कर-मुक्ति का प्रमाण-पत्र दिया था। अब उक्त प्रमाण-पत्र को दिनांक 01.04.2007 से 31.03.2010 तक के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर नवीनीकृत किया जाता है :-

1. आदेश संख्या सी०नं० 58(40)/कर मुक्ति/आ०आ०-गा०बाद/2005-06/5442 दिनांक 24.02.2006 में वर्णित सभी शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए।
2. संस्था/न्यास के उद्देश्यों, नियमों व संविधान में होने वाले किसी भी संशोधन या परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय को परिवर्तन/संशोधन की तिथि से एक सप्ताह के भीतर दी जाए।
3. आय-व्यय के लेखे सम्बन्धित सहायक आयकर आयुक्त/उप-आयकर आयुक्त/अपर आयकर आयुक्त के समक्ष प्रति वर्ष प्रस्तुत की जाए।

आयकर आयुक्त, गाजियाबाद ।
Commissioner of Income Tax
Ghaziabad

समसंख्या एवं दिनांक: 12.09.2007.

अपर आयकर आयुक्त, रेंज-नोयडा, नोयडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयकर अधिकारी । तकनीकी।
कृते आयकर आयुक्त, गाजियाबाद ।